


मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 1 /02/2021

क्रमांक 178 /274/2021/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अर्चना जोशी, प्राध्यापक, संस्कृत, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर, जिला इंदौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-42 के उपनियम (1) खण्ड (ए) के अधीन उनके स्वयं के आवेदन पर दिनांक 31.12.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(श्वेता पवार)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 179 /274/2021/38/1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र.
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
 3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
 5. जिला कोषालय अधिकारी, इंदौर,
 6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,
 7. प्राचार्य, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर, जिला इंदौर,
 8. संबंधित डॉ. अर्चना जोशी, प्राध्यापक, संस्कृत, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर, जिला इंदौर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग